न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः— 01/2019

दायर दिनांक :— .01.2019

1. कपूरसिंह पुत्र छोटूराम जाति स्वामी निवासी मारोत तहसील मातनहेन जिला झज्जर (हरियाणा) —वादी

—बनाम—

1. भींमसिंह
2. रघुवीरसिंह
3. रमेश
4. राजेन्द्रसिंह
5. सरजीत
6. विजेन्द्रसिंह

(क्रम 1 से 6:) पुत्रगण छोटूराम जाति स्वामी निवासी मारोत तहसील मातनहेन जिला झज्जर (हरियाणा)

7. स्व. शोभाराम पुत्र चुनाराम जाति कुम्हार निवासी श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
9. उप पंजीयक पजीयन कार्यालय श्रीडूगरगढ़
10. भंवरीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल
11. रामेश्वरलाल पुत्र गंगाराम

(क्रम 10 व 11:) जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

12. मंगलचन्द
13. किशोरीलाल
14. विनोदकुमार
15. बाबुलाल
16. रामदयाल

(क्रम 12 से 16:) पुत्रगण शोभाराम जाति प्रजापत निवासी श्रीडूगरगढ़ तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायीनिषेधाज्ञा
अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 53,188

उपस्थितः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री के के पुरोहित प्रतिवादी संख्या 10 ता 16

निर्णय दिनांक :—13.05.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 706 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिनमें वादी का 1/7 हिस्सा अवस्थित है। वादगत खेत खसरा नंबर 706 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर रोही जैतासर में से 1/7 हिस्सा यानि 2.9700 हैक्टेयर मय गै.मु. कुँआ 0.1000 हैक्टेयर पश्चिमी मध्य तरफ की भूमि पर कब्जा—काश्त व उपयोग—उपभोग वादी का लगातार चला आ रहा है तथा खसरा नंबर 706 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर रोही जैतासर में से 17.800 हैक्टेयर बारानी उतरी पूर्वी दक्षिणी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी के उक्त खेत आपसी मौखिक विभाजन में हिस्से पाती में आये हुए है तब से लगातार वादी के खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. कुँआ एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 2.9700 हैक्टेयर पश्चिमी मध्य तरफ की भूमि पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 17.800 हैक्टेयर बारानी उतरी पूर्वी दक्षिणी तरफ कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। संयुक्त खातेदारान के आपस में वादी के खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. कुँआ एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 2.9700 हैक्टेयर पश्चिमी मध्य तरफ की एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 17.800 हैक्टेयर बारानी उतरी पूर्वी दक्षिणी तरफ पांती में आये हुए है। वादी उक्त खसरा नंबर 706 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा—काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेत के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 23.12.2018 को स्पष्ट इनकार कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि यह है कि वादी को खसरा नंबर 706 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर रोही जैतासर में से 1/7 हिस्सा यानि 2.9700 हैक्टेयर मय गै.

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

मु. कुँआ 0.1000 हैक्टेयर पश्चिमी मध्य तरफ का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। दौराने दावा विचाराधीन वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 के स्वर्गवास होने एवं प्रतिवादी संख्या 7 के उतरजीवी वारिसानों की जानकारी कर संशोधित शीर्षक पेश किया जाना है।

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि खेत को खसरा नम्बर 706 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर रोही जैतासर के मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1, 4–5 भीमसिंह राजेन्द्र सरजीत ने अपना हिस्सा जरिये विक्रयपत्र दिनांक 27.12.2019 को श्रीमति भंवरीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जैतासर एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 रघुवीरसिंह रमेश ने अपना हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2018 को रामेश्वरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी जैतासर व प्रतिवादी संख्या 7 विजेन्द्रसिंह ने अपना हिस्सा जरिये दान पत्र दिनांक 14.12.2018 को वादी कपूरीसिंह पुत्र छोटूराम को एवं प्रतिवादी संख्या 7 शोभाराम ने जरिये वसीयत दिनांक 06.12.2017 को मंगलचन्द, किशोरीलाल, विनोदकुमार, बाबुलाल, रामदयाल के पक्ष में हस्तान्तरण कर दी है शोभाराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा विक्रय दान एवं वसीयत कर देने पर उक्त खेत में वर्तमान में वादी कपूरीसिंह पुत्र छोटूराम का 2/14 हिस्सा, भंवरीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जैतासर का 3/14 हिस्सा, रामेश्वरलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी जैतासर का 2/14 हिस्सा, मंगलचन्द, किशोरीलाल, विनोदकुमार, बाबुलाल, रामदयाल पुत्रगण शोभाराम जाति प्रजापत निवासी श्रीडूगरगढ़ का 1/2 हिस्सा स्थित है। वादगत खेत के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का अब कोई हिस्सा निहित नही होने से उक्त अनुवानी दावा में वर्तमान टाईटल अनुसार दावे में पक्षकार संयोजित किया जाकर संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिससे वर्तमान स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके। वादी द्वारा संशोधित शीर्षक दावा प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण भवरीदेवी व रामेश्वरलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से जरिये विक्रय पत्र हिस्सा खरीद लेने से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया है।

वादगत भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज है जिसमें वादी का 1/14 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 6/14 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा अपनी भूमि प्रार्थीगण भवरीदेवी व रामेश्वरलाल को विक्रय कर दिया है जिसका नामान्तरण प्रकियाधीन है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपनी भूमि वादी के पक्ष में दान किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 का स्वर्गवास हो चुका है प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने हिस्से की वसीयत की जा चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा विक्रय, दान एवं वसीयत कर देने से वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक दावा स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 तथा ओदश 22 नियम 4 स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 ने निवेदन किया है कि वादगत खसरानो में वादी के खसरा नम्बर 706 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.01हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 2.9500 हैक्टेयर मध्य में एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 के खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर में से 7.4250 हैक्टयर दक्षिणी तरफ तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर मे से 10.3950 हैक्टेयर उतरी तरफ हिस्से पातीं में आये हुए है हिस्से पाती अनुसार प्रतिवादी विभाजन करवाने के लिए पूर्णत सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादगत खेत में प्रतिवादीगण के पिता शोभाराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में द्रर्ज है प्रतिवादीगण के पिता ने वादगत खेत जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था। दिनांक 06.12.2017 को प्रतिवादी के पिता ने वादगत खेत की वसीयत प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के पक्ष में बहिब हिस्सा कर दी है। प्रतिवादीगण अपने पिता के नाम की 1/2 हिस्से की खातेदारी वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने एवं विभाजन करवाने के लिए सहमत है। वादगत खसरानो में वादी के खसरा नम्बर 706 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.01हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 708 तादादी 20.7700 हैक्टेयर में से 2.9500 हैक्टेयर मध्य में एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 के खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर में से 7.4250 हैक्टयर दक्षिणी तरफ तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर मे से 10.3950 हैक्टेयर उतरी तरफ हिस्से पातीं में आये हुए है हिस्से पाती अनुसार प्रतिवादी विभाजन करवाने के लिए पूर्णत सहमत है।

वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक पेश करने एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 16 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर विभाजन करवाने के लिए सहमत होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नम्बर 706 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर रोही जैतासर सयुक्त खातेदारी का खेत है जिसमें वादी का 1/14 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 6/14 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2019 को विक्रय कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 10 ता 11 को सम्भला दिया है। प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में जरिये दान पत्र दिनांक 14.12.2018 को दान कर कब्जा सम्भला दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का स्वर्गवास दिनांक 12.07.2018 का हो गई है प्रतिवादी संख्या 7 के

खण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

Scanned by CamScanner

द्वारा अपने हिस्से की भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 के पक्ष में की गई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा किये गये विक्रय, दान एवं वसीयत के आधार पर वर्तमान में वादी का 2/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का 3/14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 2/14 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 12 ता 16 का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। वर्तमान खातेदारो कब्जा काश्त एवं मौके कब्जे के अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है।

अतः खसरा नम्बर 706 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 तादादी 20.77 हैक्टेयर रोही जैतासर का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र.स.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा हैक्टेयर में
1	कपूरसिंह पुत्र छोटूराम जाति स्वामी निवासी मारोत तहसील मातनहेन जिला झज्जर (हरियाणा) खातेदार	जैतासर	706	0.0100	0.0100 सम्पूर्ण
			707	0.0100	0.0100 सम्पूर्ण
			708	20.7700	2.9500 मध्य
			3	**कुल**	**2.9700 हैक्टेयर**
2	रामेश्वरलाल पुत्र गंगाराम 296 हिस्सा, भंवरीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल 446 हिस्सा जाति जाट निवासी जैतासर खातेदार	जैतासर	708	20.7700	7.4200 दक्षिणी
			1	**कुल**	**7.4200 हैक्टेयर**
3	मंगलचन्द, किशोरीलाल, विनोदकुमार, बाबुलाल, रामदयाल पुत्रगण शोभाराम बराबर हिस्सा जाति प्रजापत निवासी श्रीडूंगरगढ़ खातेदार राहिन BOB शाखा श्रीडूंगरगढ़	जैतासर	708	00.7700	10.4000 उतरी
			1	**कुल**	**10.4000 हैक्टेयर**

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मौके कब्जे अनुसार विभाजन कर तरमीम करे। डिक्री जारी हों ।

आज दिनांक 13.05.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

नोट:- ग्राम जैतासर के ख०न० 708 विभाजन सारणी के कॉलम संख्या 3 मे अंकित तादादी 00.7700 है. के स्थान पर 20.7700 है. पढा व समझा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner